DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(9095)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/20/02735/2020 जयपुर, दिनांक 07.07.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सहायक प्रोग्रामर्स एवं सूचना सहायकों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वंयपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:–

क्र. स.	मेरिट न.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	143 (2013)	श्री गिरधारी लाल प्रजापत, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उदयपुर।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
2	3730 (2013)	श्री हेमेन्द्र कुमार मीणा, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय, देवली, टोंक।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
3	W-09 (2013)	श्री उत्पल पण्ड्या, सूचना सहायक	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उदयपुर।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
4	2713 (2013)	श्री तेजाराम, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
5	2139 (2013)	श्री टींकुराम सैनी, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति–खेतड़ी, झुंझुनूं।	MCA 2nd year	Jaipur National University, Jaipur
6	New IA 2018	सुश्री वंदना कांवत, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।	MCA	Jaipur National University, Jaipur
7	New IA 2018	श्री विक्रम सिंह, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।	MScCS	Vardhman Mahaveer Open University, Kota

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

Contd...

6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्धकार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

sd

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष..।
2. कार्मिक..।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

06/07/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)